प्रवाह

अमर उजाला

नई दिल्ली ■ मंगलवार, 16 मई 2017

निर्भीक पत्रकारिता का सातवां दशक

स्थापना वर्ष : 1948

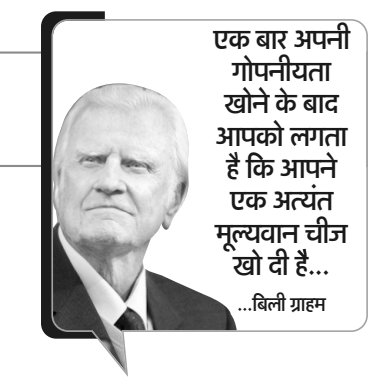

रैन्समवेयर के हमले ने दिखाया कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की दुनिया जिस तेजी से विकसित हो रही है, उतनी ही तेजी से उसमें सेंध लगाने की जुगत भी की जा रही है, जिससे निपटना बड़ी चुनौती है।

अब साइबर फिरौती

साइबर संसार की भी अपनी सीमाएं हैं, यह दुनिया भर के कंप्यूटरों पर हुए फिरौती मांगने वाले रैन्समवेयर वायरस के हमले ने दिखा दिया है। हालांकि राहत की बात यह जरूर कही जा सकती है कि शुक्रवार को जिस तरह से डेढ़ सौ देशों के दो लाख से अधिक कंप्यूटरों पर साइबर हमला किया गया था, उसकी तुलना में सोमवार को इसका सीमित प्रभाव ही दर्ज किया गया। कंप्यूटरों पर वायरस के हमले नए नहीं हैं, लेकिन इतने संगठित रूप में पहली बार दुनिया भर के कंप्यूटरों को निशाना बनाया गया है, जिससे वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा की ओर ध्यान गया है। मसलन, देखा जा सकता है कि रूस में इस वायरस ने गृह मंत्रालय के नेटवर्क में सेंध लगाई, तो भारत के आंध्र प्रदेश में पुलिस का पच्चीस फीसदी नेटवर्क ठप हो गया, चीन में चालीस हजार संगठनों के नेटवर्क प्रभावित हुए और ब्रिटेन में स्वास्थ्य सेवा ठप हो गई। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की दुनिया जिस तेजी से विकसित हो रही है, उतनी ही तेजी से उसमें सेंध लगाने की जुगत भी की जा रही है, जिससे निपटना बड़ी चुनौती है। ताजा साइबर हमले में ई-मेल के जरिये वायरस भेजा गया है, जिसे खोलते ही वह संबंधित कंप्यूटर का डाटा सील कर देता है और उसे खोलने के एवज में वायरस भेजने वाले फिरौती मांगते हैं। यह संभव हो सकता है कि यह साइबर हमला कुछ ऐसे ही सिरफिरे लोगों की करतूत हो, लेकिन इससे कैसे इन्कार किया जा सकता है कि ऐसे वायरस यदि आतंकी संगठनों के हाथ लग गए, तो वे किस तरह की तबाही मचा सकते हैं? आखिर आतंकियों द्वारा कंप्यूटर हैक करने की घटनाएं सामने आई ही हैं। वहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने जिस तरह से पाइरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के इस्तेमाल को लेकर आगाह किया है, उससे कंप्यूटर की दुनिया की नए तरह की प्रतिद्वंद्विता सामने आती है। हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों के हित इससे प्रभावित हो रहे हैं, मगर सवाल है कि कंप्यूटर का जिस तरह से लोकतांत्रिकीकरण हुआ है और 'क्रिएटिव कॉमन' की बात की जा रही है, उसमें मनमानी कीमत पर सॉफ्टवेयर बेचने वाली कंपनियों का एकाधिकार क्यों नहीं टूटना चाहिए? जिस तेजी से तमाम बुनियादी सेवाएं इंटरनेट से जुड़ती जा रही हैं और दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन हो रहा है, उसे देखते हुए सॉफ्टवेयर को आम लोगों की पहुंच में तो होना ही चाहिए और इसके साथ ही साइबर सुरक्षा को पुख्ता किए जाने की भी जरूरत है।

निजता के दायरे में आधार

आधार के विमर्श में अब निजता को जिस तरह महत्व दिया जा रहा है, वह स्वागतयोग्य है। अलग-अलग लोग निजता को अलग तरह से परिभाषित कर रहे हैं : कंप्यूटर वैज्ञानिक इसे 'डाटा सुरक्षा' के संकीर्ण नजरिये से देख रहे हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के वकील इसे नागरिक आजादी के दृष्टिकोण से परख रहे हैं।

निजता का संकीर्ण अर्थ डाटा सुरक्षा से ही संबंधित है : किन आंकड़ों को सुरक्षित रखने की जरूरत है (आधार नंबर या जनसांख्यिकी सूचना या बायोमीट्रिक्स), क्या सीआईडीआर में आंकड़े रखना सुरक्षित है (कूटलेखन स्तर या हैकिंग की आशंका आदि)। यूआईडीएआई का कहना है कि आंकड़े सुरक्षित हैं। अलबत्ता ब्रूस शेने यर और ट्रॉय जैसे अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्रीकृत डाटाबेस (जैसे कि यूआईडी का डाटाबेस है) के मामले में सवाल यह नहीं है कि उन्हें हैक किया जा सकता है या नहीं, सवाल है कि वे कब हैक होंगे।

अगर आधार से जुड़ा आंकड़ा सुरक्षित है, तब भी आधार भुगतान प्रणाली (एईपीएस) के कारण पहचान आधारित धोखाधड़ी का रास्ता खुलता है। एईपीएस के पीछे का विचार यह है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, 'आपके अंगूठे का निशान ही आपका बैंक है।' लेकिन अंगूठे के निशान से आसानी से धोखाधड़ी हो सकती है। हाल ही में मुंबई के 200 छात्रों ने बायोमीट्रिक तरीके से की होने वाली उपस्थिति व्यवस्था को धता बताने के लिए अपने अंगूठे के निशान की ही नकल कर ली। इसके साथ अगर सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध आधार नंबर को भी जोड़ लें, तो

स्मार्टफोन, गूगल, फेसबुक आदि हमारी निजता का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन इनमें से किसी का भी प्रभाव आधार जितना असरदार नहीं है।

रीतिका खेड़ा

इससे बैंकिंग क्षेत्र में होने वाली पहचान आधारित धोखाधड़ी की आशंका बढ़ती है। हाल ही में हुआ आधार लीक घोटाला (जिसमें लाखों लोगों के आधार नंबर सरकारी पोर्टल्स पर प्रदर्शित किए गए), इस लिहाज से बेहद गंभीर मामला है।

निजता का दूसरा अर्थ निजी सूचनाओं से है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब हमारी निजी जानकारी उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है, जिसके साथ हम अपनी सूचना साझा नहीं करना चाहते। कुछ लोग मानते हैं कि निजता की धारणा संभ्रांत लोगों से ही संबंधित है। लेकिन हर आदमी-चाहे वह अमीर हो या गरीब, मर्द हो या औरत, ग्रामीण हो या शहरी-एक मानक तैयार करता है कि अपने जीवन से जुड़ी कौन-सी जानकारी बाहर के लोगों को देनी है और कौन-सी नहीं देनी है।

सर्वोच्च न्यायालय में अटॉर्नी जनरल ने दावा किया कि भारतीयों को निजता की परवाह नहीं है, अगर होती, तो हम ट्रेन में सफर करते लोगों को अपने जीवन की कहानी सुनाते नहीं पाते। पर ऐसा नहीं है। हाल ही में मैं एक टैक्सी में अपने दो दोस्तों के साथ कहीं जा रही थी कि ड्राइवर के मोबाइल पर एक कॉल आई। उसने कॉल करने वाले अपने दोस्त को कहा कि वह थोड़ी देर में फोन करेगा। सवारियों की मौजूदगी में वह बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था।

आधार परियोजना से जुड़ी तीसरी आपत्ति तीसरा पक्ष बायोमीट्रिक सूचनाएं इकट्ठा करता है, फिर उन्हें सार्वजनिक कर निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। बायोमीट्रिक सूचनाएं किसी को सौंप देना अपराध का कारण बनता है। आधार के समर्थक कहते हैं कि कई देशों के लिए वीजा आवेदन में भी बायोमेट्रिक सूचनाएं सौंपने की आवश्यकता पड़ती है। सरकार कहती है कि रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के जरिये बायोमीट्रिक्स इकट्ठा किए जाते हैं। सरकार का यह जवाब इस तथ्य की अनदेखी करता है कि इस तरह के इस्तेमाल में सख्त प्रतिबंध की शर्त भी जुड़ी होती है।

रजिस्ट्रेशन ऐक्ट या अमेरिका के सोशल सिक्योरिटी नंबर से आधार अलग इस अर्थ में है कि हमारे आंकड़े एक केंद्रीकृत डाटाबेस में इकट्ठा होते हैं और हमारे बायोमीट्रिक और दूसरी सूचनाओं से एक खास नंबर जुड़ता है। आगे यह नंबर देश के हरसंभव सरकारी और निजी डाटाबेस से जुड़ता है। आज हमारे जीवन से जुड़ी सूचनाएं अलग-अलग डाटा भंडारों में जमा है। इन अलग-अलग आंकड़ों से अपने जीवन की पूरी तस्वीर सिर्फ मैं ही बना सकता हूं, क्योंकि आंकड़ों के इन बिखरे हुए भंडारों तक सिर्फ मेरी पहुंच है। अगर आधार नंबर की हर डाटाबेस में एंट्री हो, तो मैं इन आंकड़ों पर अपना नियंत्रण खो दूंगा। सरकार के लोग मेरे आधार नंबर का इस्तेमाल कर विभिन्न डाटाबेसों से मेरा आंकड़ा इकट्ठा कर मेरे बारे में तमाम निजी जानकारी मालूम कर लेंगे। आधार की बहस में निजता से जुड़ा यह चौथा और सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय में वकीलों ने बहस की।

निजता के उल्लंघन के मामले में सरकार के तर्क असरदार नहीं है। उसका पहला तर्क है कि हम पर पहले से निगाह रखी जा रही है। स्मार्टफोन, गूगल, फेसबुक आदि हमारी निजता का उल्लंघन कर रहे हैं। पर इनमें से किसी का भी प्रभाव आधार जितना असरदार नहीं है। यह तर्क-कि चूंकि हम पर पहले से ही निगाह रखी जा रही है, लिहाजा हमें आधार पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए-ऐसा ही है कि चूंकि हमारे यहां पहले ही चोरी हो चुकी है, इसलिए हमें अपने दरवाजे-खिड़कियां खोलकर सोना चाहिए। सरकार का दूसरा तर्क है कि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और जो गलत कर रहे हैं, वे ही आधार को जोड़े जाने पर चिंतित हैं। ग्लेन ग्रीनवॉल्ड ने अपने टेडटॉक में इसका जवाब दिया है : उन्होंने कुछ लोगों को अपने यहां बुलाया, ताकि सब अपने पासवर्ड साझा करें। किसी ने ऐसा नहीं किया।

सरकार का तीसरा तर्क है कि कानून अपना काम करेगा। पर कानून या तो कमजोर है या चुप है। यूआईडी नंबर प्रकाशित करना अपराध है, पर आधार लीक घोटाले में कई विभागों और केंद्रीय मंत्रियों की लिप्तता की बात सामने आने के बावजूद एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। आधार परियोजना को कल्याण योजनाओं को विस्तार देने के तौर पर लाया गया था, पर अब यह नागरिकों पर नजर रखने और उनके डाटा इकट्ठा करने के औजार में तब्दील हो गई है।

-लेखिका आईआईटी, दिल्ली से संबद्ध हैं।

प्रकृति से मोहित हुआ और प्रकृति पुत्रों पर लिखा

अंतर्ध्वनि

>> गोपीनाथ मोहंती

मैं महानदी के किनारे के एक गांव नागाबली में पैदा हुआ। उन दिनों मैं प्रकृति से बहुत जुड़ाव महसूस करता था। सरकारी नौकरी में आने के बाद भी मैं प्रकृति से जुड़ा रहा, लेकिन इस बार प्रकृति के बजाय प्रकृति पुत्रों यानी आदिवासियों पर मैंने ज्यादा ध्यान दिया। नौकरी के दौरान मैं उन आदिवासियों के संपर्क में आया, जो आधुनिकता और विकास से अछूते थे। मेरी नौकरी का बड़ा हिस्सा कोरापुट जिले

में गुजरा। मैंने आदिवासियों की पीड़ा दो स्तरों पर महसूस की। एक तो यही कि ये भीषण गरीबी में दिन गुजारते हैं। दूसरी जिस चीज ने मुझे गहरे तौर पर छुआ, वह सरकारी अधिकारियों का इन आदिवासियों के प्रति उदासीन रवैया था। सरकारी योजनाओं से आदिवासियों का जीवन तो नहीं सुधरा, सरकारी अधिकारियों का जीवन जरूर बदल गया। मेरे लेखन का बड़ा हिस्सा इस छद्म पर केंद्रित है। मैंने पाया कि उच्च वर्ग के अधिकारी प्रकृति पुत्रों की पीड़ा समझ ही नहीं सकते। हालांकि अपने लेखन के कारण अधिकारी वर्ग के अपने समाज में मुझे अजीब तरह से देखा गया। लेकिन इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि किसी न किसी को तो इन लोगों के जीवन को वाणी देना ही था। विडंबना यह है कि आदिवासी समाज से दूरी बनाकर चलने के कारण हम उनके जीवन के खुलेपन और उनकी बहुत-सी अच्छाइयों को जानने से भी वंचित रह गए। अपने जीवन के कई दशक आदिवासियों के बीच गुजारने के बाद भी मैं यह महसूस करता हूं कि मैं उन्हें ठीक से जान-समझ नहीं पाया।

-ज्ञानपीठ से सम्मानित ओड़िया लेखक।

हरियाली और रास्ता

रोहित, मनोज और इंटरव्यू

रोहित की कहानी, जिसने नि:शक्त होने के बावजूद अपनी काबिलियत से लोगों को प्रभावित किया

एक बड़ी कंपनी में नौकरी का इंटरव्यू चल रहा था। रोहित भी वहां इंटरव्यू देने गया था। रोहित के अलावा वहां काफी लोग थे, जो उसी नौकरी के लिए आए थे। मनोज नाम का उसी कंपनी का एक कर्मचारी इंटरव्यू के लिए आए सभी उम्मीदवारों को व्यवस्थित कर रहा था और बारी-बारी से उन्हें इंटरव्यू पैनल के पास भेज रहा था। लेकिन मनोज का व्यवहार रोहित के प्रति बहुत संवेदनहीन था। ऐसा लग रहा था, जैसे वह यह मानकर बैठा था कि रोहित जैसे लड़के का तो

इस कंपनी में दाखिला हो ही नहीं सकता। मनोज एक-एक कर अन्य सभी उम्मीदवारों को अंदर भेज रहा था। जो रोहित के बाद आए थे, उन्हें भी, और जो पहले आए थे उन्हें भी। जो रोहित से ज्यादा अनुभवी थे, उन्हें भी, और जो उससे कम अनुभवी थे, उन्हें भी। कायदे से रोहित को इस पर गुस्सा होना चाहिए था। लेकिन रोहित यह सब देखकर भी मंद-मंद मुस्करा रहा था। रोहित को मुस्कराते हुए देखकर मनोज को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दिन के अंत में जब कोई उम्मीदवार नहीं बचा, तो मनोज के पास रोहित को अंदर भेजने के अलाना कोई विकल्प नहीं था। वह खुद रोहित को अंदर लेकर गया और इंटरव्यू पैनल के सामने उसे खड़ा कर दिया। रोहित को देखकर इंटरव्यू पैनल में बैठे लोग कहने लगे, आप तो खुद ही ह्वील चेयर पर बैठे हैं। ऐसे में, आप कंपनी का काम-काज भला कैसे संभाल सकेंगे? क्या आपको लगता है कि आप यह जिम्मेदारी संभाल पाएंगे? यह सुनकर मनोज भी हंसने लगा। लेकिन रोहित अब भी मुस्करा रहा था। मुस्कराते हुए ही वह बोला, सर, हममें से शायद ही ऐसा कोई हो, जिसके अंदर कोई कमी न हो। फर्क बस इतना है कि हर शख्स अपनी कमियां किसी दूसरे व्यक्ति के सामने जाहिर नहीं होने देता। लेकिन कभी ऐसा भी नहीं होता कि उन कमियों की वजह से उसका काम प्रभावित हो। मेरे अंदर जो कमी है, वह छिपा नहीं सकता। लेकिन क्या यह कमी मुझे नौकरी न मिलने का कारण हो सकती है, यह आप ही तय करिए। पूरा पैनल रोहित के जवाब से सोच में पड़ गया। जब रोहित से और सवाल पूछे गए, तो उसने उन सवालों के ऐसे जवाब दिए कि इंटरव्यू लेने वाले स्तब्ध रह गए। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि वह शख्स इतना ज्ञानी, व्यावहारिक और आत्मविश्वास का धनी होगा। मनोज के लिए यह जिंदगी बदल देने वाला एक अनुभव तो था ही, इंटरव्यू बोर्ड के तमाम सदस्य भी उस अनुभव को कभी भूल नहीं सके।

किसी को देखकर उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए।

मंजिलें और भी हैं

>> उषा झा

दीवारों पर चित्रित छवियां जीने का उद्यम बन गईं

मेरे जीवन में सब कुछ था। बच्चे मेरा खयाल रखते थे और हरसंभव सहयोग करने वाला प्यारा परिवार। फिर भी मुझे लगता था कि मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है। मुझे अपने होने का बोध नहीं था। सामान्य जिंदगी से इतर मैं अपने और दूसरों के लिए कुछ नया करना चाहती थी। इसी वजह से मेरे अंतर्मन में उद्यमशीलता का एक सपना था। मेरा जन्म बिहार में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित पूर्णिया जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। मेरे पिता एक सामाजिक आदमी थे। आठ भाई-बहनों में उन्होंने पढ़ाई को लेकर भेद नहीं किया। लेकिन मेरी शादी 14 की उम्र में कक्षा दस पास करने से पहले ही हो गई। मेरी किस्मत अच्छी थी कि शादी के बाद मैं पढ़ाई जारी रख पाई। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पत्राचार के माध्यम से मैंने राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की। मैं सिर्फ अपनी उच्च शिक्षा से संतुष्ट नहीं थी। कुछ नया करने की मेरी शुरुआत एक ब्यूटी पार्लर से हुई। लेकिन यह काम मुझे उस ऊंचाई पर नहीं ले जा सकता था, जहां मुझे जाना था। इसके बाद मेरा सफर, मेरे एक खयाल से पूरी तरह बदल गया।

हर किसी को अपने सपने का पीछा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी सपना आपकी पहुंच से बाहर नहीं होता है।

बच्चों के बड़े होने के बाद मेरे पास अपने सपनों के लिए अतिरिक्त समय था। मैंने गांव की संस्कृति से जुड़ी कला 'कोहबर' को अपने नए काम का हथियार बनाया। उस वक्त मैंने देखा कि बिहार के मिथिला में इस चित्रकारी का महत्व आज की शादियों में खाने के मेन्यू से भी ज्यादा था। मैं इस कलाकारी को बचपन से जानती थी। यह एक ऐसी मिथिला लोक कला है, जो शादी के दौरान कमरे की दीवारों पर चित्रित छवियों से संबंधित है। यह एक अनूठी कला है। मैंने इस कला को दीवारों से उतारकर कागज और कपड़ों पर उतारने की ठान ली। मेरे पास केवल आईडिया भर था, मुझे नहीं पता था कि मुझे असल में करना क्या है। मैंने एक छोटे से कमरे में 'पेटल्स क्राफ्ट' नाम से अपना काम शुरू किया। इसके लिए मैंने 'कोहबर' कला को जानने वाली कुछ महिलाओं की मदद ली। कई दूसरी महिलाएं मिथिलांचल के दूसरे हिस्सों में रहकर मेरे लिए काम करती थीं। मेरी यह पहल बिहार जैसे पितृसत्तात्मक समाज में महिला सशक्तिकरण का एक नया उदाहरण थी।

कई गांवों में फैल चुके मेरे काम के नेटवर्क में महिलाओं की संख्या धीरे-धीरे बढ़ने लगी। 2008 में मैंने गांवों में किए जा रहे अपने काम को औपचारिक रूप दिया तथा अपने गैर सरकारी संगठन, 'मिथिला विकास केंद्र' का पंजीकरण करवाया। इस केंद्र के माध्यम से हम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हैं। हमारे संगठन से जुड़ी महिलाएं अपना घर चलाने में सक्षम हैं। हम उनके बच्चों के लिए शिक्षा भी उपलब्ध कराती हैं। साथ ही उन्हें होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में उनके बीच जागरूकता फैलाने का काम भी करती हैं। आज भले ही 'पेटल्स क्राफ्ट', बिहार समेत कला की ऑनलाइन दुनिया में एक अलग पहचान रखने वाला नाम है, लेकिन जब मैंने इसकी शुरुआत की थी, तब ऑनलाइन विक्रय की कोई अवधारणा नहीं थी। उन दिनों मुझे और मेरी टीम को पूरे देश में और यहां तक कि विदेशों में भी यात्रा कर स्टॉल लगाने पड़ते थे। आज हमारे उत्पादों की बिक्री तमाम वेबसाइट पर होती है। प्रौद्योगिकी ने मुझे दूसरे कलाकारों के साथ संवाद करने में बड़ी मदद की है। आज मेरे साथ 300 से अधिक प्रशिक्षित स्वतंत्र महिलाएं काम कर रही हैं। मैं मानती हूं कि हर किसी को अपने सपने का पीछा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी सपना आपकी पहुंच से बाहर नहीं होता है।

न्याय मांगतीं औरतें

तीस साल पहले शाहबानो ने न्याय मांगा था, आज सायरा बानो गुहार लगा रही हैं। लाखों मुसलमान औरतें सर्वोच्च न्यायालय की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही हैं कि उन्हें तीन तलाक जैसी कुप्रथा और निकाह हलाला से मुक्ति मिले।

शाहबानो को गुजारा भत्ता दिए जाने के मामले में जब सर्वोच्च न्यायालय ने उसके पक्ष में फैसला दिया था, तो इतना तूफान खड़ा हो गया था कि राजीव गांधी की सरकार थर-थर कांपने लगी थी। और एक झटके में राजीव गांधी ने सभी मुसलमान औरतों को कट्टरपंथियों के आगे शिकार के लिए फेंक दिया था। औरतों के पक्ष में दिए गए एक प्रगतिशील फैसले को सिर्फ राजनीतिक स्वार्थों और वोटों के लिए एक किनारे कर दिया गया और किसी ने उफ् तक न की। एक बार मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी ने कहा भी था कि सरकारें हम जैसे उदार मुसलमानों के मुकाबले कट्टरपंथियों की ज्यादा सुनती हैं। बाद में शाहबानो ने कहा था कि उसके पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला देकर गलत किया। जब उससे पूछा गया कि अपने पक्ष में दिए गए फैसले को उसने गलत क्यों कहा, तो उस महिला ने जैसे दिल की बात कह दी। कहा कि अगर ऐसा न कहती, तो देश में खून की नदियां बह जातीं।

आज तीस–पैंतीस साल बाद स्थिति बदल गई है। तब शाहबानो ने मुकदमा किया था, आज सायरा बानो न्याय की गुहार लगा रही हैं। सिर्फ सायरा ही नहीं, लाखों मुसलमान औरतें सर्वोच्च न्यायालय की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही हैं कि उन्हें तीन तलाक जैसी कुप्रथा और निकाह हलाला से मुक्ति मिले। शबाना आजमी की बात को सच साबित करते अधिकांश राजनीतिक दल, उन्होंने ऐसी खामोशी ओढ़ रखी है कि ये औरतें जानें और उनका भाग्य जाने। शाहबानो मामले पर उसके पक्ष में वामपंथियों ने अगुआई की थी, लेकिन आज तो बहुत से धुर वामपंथी

क्षमा शर्मा

यहां तक कह रहे हैं कि हिंदू औरतें ज्यादा सताई जाती हैं, पहले उनकी दशा सुधारें। अगर तीन तलाक पर सवाल उठा रहे हैं, तो कन्यादान जैसी प्रथा को बंद करें। यह बात सच है कि कन्यादान की बात सुनकर ऐसा लगता है कि लड़कियां भेड़-बकरियां है। पुनर्जागरण काल से आज तक विभिन्न मसलों पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। औरतों के संपत्ति के अधिकार से लेकर बहुत तरह के कानून बन चुके हैं, जिन्हें हिंदू समाज ने स्वीकार भी किया है। मगर यह कहना कि पहले हिंदू औरतों की दशा सुधारो, तब मुसलमान औरतों के बारे में कुछ कहना, यह तर्क से परे है। महादेवी वर्मा ने सुभद्राकुमारी चौहान पर एक मार्मिक आलेख लिखा था। उसी में सुभद्रा जी की बेटी के विवाह का जिक्र आता है। कन्यादान के वक्त वह उठकर कहती हैं कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान नहीं करूंगी। वह कोई दान की वस्तु नहीं है।

राजनीतिक दलों को लगता है कि मुसलमान औरतों के पक्ष में कुछ बोलते ही उनके वोट चले जाएंगे। इसीलिए वे मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी सवाल नहीं पूछते कि वे कब तक अपनी औरतों को तकलीफें सौंपकर धर्म की रक्षा का झूठा बिगुल बजाते रहेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तर्क देखिए कि बीवी से पिंड छुड़ाने के लिए उसका कत्ल करने से तो बेहतर है, तीन तलाक।

कम से कम मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड को राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए सईदा हमीद द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट-*वॉयस आफ द वॉयसलेस* ही पढ़ लेनी चाहिए। इसमें पूरे देश की मुसलमान औरतों से बात की गई थी। ये औरतें अकेली थीं, बीमार थीं, चार –छह बच्चों को बिना किसी आय के साधन के पालने को मजबूर थीं। इनकी बदहाली का सबसे बड़ा कारण था –तीन तलाक। सर्वोच्च न्यायालय और इस सरकार ने कम से कम यह तो किया ही है कि मुसलमान औरतों में एक भरोसा पैदा किया है।

खुली खिड़की

एशिया में फैलता इंटरनेट का जाल

दुनिया में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। शेष विश्व की तुलना में एशियाई देशों में यह वृद्धि कई गुना ज्यादा है। अकेले चीन और भारत में इंटरनेट प्रयोग करने वालों की मौजूदा संख्या पूरी दुनिया का करीब 32 फीसदी है। इस क्षेत्र में भारत ने पिछले 17 वर्षों में 9000% से भी ज्यादा वृद्धि की है।

इंटरनेट प्रयोग करने वाली शीर्ष आबादी वाले देश

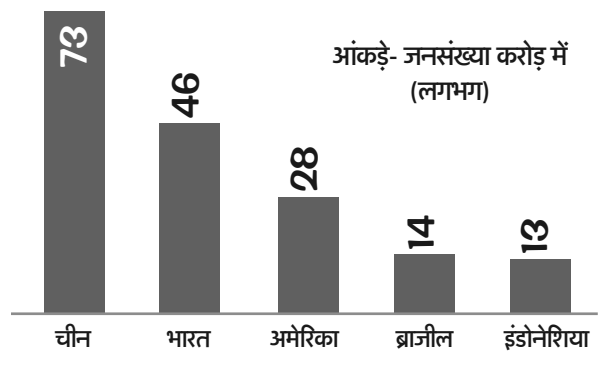

स्रोत- इंटरनेट वर्ल्ड स्टैट्स

अयोग्य को शिक्षा देना

किसी पर्वतीय प्रदेश में वानरों का एक समूह निवास करता था। एक वर्ष हेमंत ऋतु में भयंकर वायु चलने लगी। उसके साथ ही वर्षा शुरु हुई। वानर छिपने के लिए इधर-उधर भटकते रहे, लेकिन कहीं भी उन्हें छिपने के लिए सुरक्षित स्थान नहीं मिल पाया। कुछ वानरों ने कहीं से गुंजा के लाल-लाल फल बीने और उन्हें इकट्ठा कर उनके चारों और बैठ गए। वानरों ने सोचा कि ये अग्निकण हैं और इनसे उनकी ठंड दूर हो जाएगी। सूचीमुख नाम का एक पक्षी उन वानरों की कोशिशें देख रहा था। उसने कहा, लगता है, तुम लोग निपट मूर्ख ही हो। ये अग्निकण नहीं, बल्कि गुंजाफल हैं। इनसे ठंड दूर नहीं होगी। इसके बजाय तुम लोग किसी सुरक्षित स्थान की खोज करो। तुम लोग जाकर किसी पर्वत-कंदरा में छिप जाओ, क्योंकि यह वर्षा रुकने वाली नहीं है। इस पर एक वानर क्रोधित होते हुए बोला, हमारी ठंड मिटे या नहीं, तुम्हें इससे क्या? तुम अपना रास्ता नापो। लेकिन सूचीमुख कहीं नहीं गया और उन वानरों को समझाता रहा। बार-बार उसकी बात सुनकर एक वानर को क्रोध आ गया। वह समझाने वाले उस पक्षी के पास गया और सीधे उस पर हमला कर दिया। उसने सूचीमुख को पकड़ा और वहीं एक शिला पर पटक कर मार दिया। यह कारनामा कर वह वानर वापस अपनी मंडली में आया, तो करटक नाम का एक बुजुर्ग वानर कहने लगा, अयोग्य को शिक्षा देने का कोई लाभ नहीं है। सांप को दूध पिलाने से उसका विष शांत नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही है।

-विष्णु शर्मा

सत्संग